

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक - एफ 16(1)(198)मबावि/05/30386

जयपुर, दिनांक

आदेश

11.5.09

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 5 की उप धारा (1)(2) एवं 9(1) की क्रियान्विति के संबंध में जारी विभागीय आदेश क्रमांक 93339 दिनांक 18.11.05 में आंशिक संशोधन करते हुए समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के संबंध में निम्नानुसार सार्वजनिक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी मनोनीत किये जाते हैं :-

क्र. स.	लोक प्राधिकरण	लोक सूचना अधिकारी	सहायक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ	निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ	अतिरिक्त निदेशक (शिशु) समेकित बाल विकास सेवाएँ	शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
2	जिला स्तर पर	उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ	-	अतिरिक्त निदेशक (शिशु), समेकित बाल विकास सेवाएँ
3	परियोजना स्तर पर	बाल विकास परियोजना अधिकारी	-	उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ (समस्त जिले के लिए)

(सचिव)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक

क्रमांक - एफ 16(1)(198)मबावि/05/30387-706

11.5.09

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदया, महिला अधिकारिता एवं कल्याण विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-5) विभाग, राज. जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, आईसीडीएस, राज. जयपुर।
6. अति. निदेशक (शिशु), आईसीडीएस, राज. जयपुर।
7. उप निदेशक, आईसीडीएस.....।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी.....।
9. शिक्षित पत्रावली। / जोगामर मुख्यालय

(सचिव)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर